

प्रारूप - 2 ड.
(नियम 4 देखिए)
नाम निर्देशन-पत्र

39 2.15 PM
के
05/03/14

परिषद निर्वाचन क्षेत्र से बिहार (राज्य) की विधान परिषद के लिए निर्वाचन
हम बिहार (राज्य) की विधान परिषद के निर्वाचन के लिए दरभंगा शिक्षक निर्वाचन-क्षेत्र से
अभ्यर्थी के रूप में निम्नलिखित को नाम निर्देशित करते हैं :-

अभ्यर्थी का नाम नवीन्द्र कुमार नवीन (पिता/भ्राता/भगिन का-
नाम) यतीन्द्र नारायण सिंह उसका डाक पता ग्राम+पो०- वन्दार, थाना-नीमा-चौदपुरा
जिला - बेगूसराय उसका नाम 146, बेगूसराय
विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली के भाग सं० 93 में क्रम सं० 1091 पर
प्रविष्ट है।

हम घोषणा करते हैं कि हम मतदाता हैं और हमारे नाम दरभंगा शिक्षक विधान परिषद निर्वाचन
क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में जैसा कि नीचे उपदर्शित किया गया है, प्रविष्ट हैं और इस नाम निर्देशन के प्रतीक
स्वरूप हम नीचे अपने हस्ताक्षर करते हैं :

प्रस्थापकों की विशिष्टियाँ और उनके हस्ताक्षर

क्रम सं०	प्रस्थापक की निर्वाचक नामावली सं०	पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
	दरभंगा शिक्षक निर्वाचक नामावली की भाग सं०	उस भाग की क्रम सं०		
1	2	3	4	5
1	82	67	बदण कुमार	बदण कुमार 5/3/2014
2	89	221	अशोक कुमार पंडित	अशोक कुमार पंडित 05/03/14
3	80	142	कुन्दन कुमार	कुन्दन कुमार 05-03-14
4	89	283	उद्योग प्रसाद मंडल	उद्योग प्रसाद मंडल 05-03-14
5	83	19	अश्विन्द कुमार सिंह	अश्विन्द कुमार सिंह 05/03/2014
6	83	178	विजय कुमार चौधरी	विजय कुमार चौधरी 05-03-2014
7	83	252	मनीष कुमार मोची	मनीष कुमार मोची 05-03-14
8	83	232	नीरज कुमार	नीरज कुमार 05-03-014
9	83	250	रोहित कुमार	रोहित कुमार 05-03-014
10	83	251	अमरेंद्र कुमार	अमरेंद्र कुमार 05-03-14

प्रस्थापक निर्वाचक क्षेत्र के दस प्रतिशत मतदाता या दस ऐसे मतदाता, जो भी कम हो, होने चाहिए।

मैं उपरिवर्णित अभ्यर्थी इस नामनिर्देशन के लिए अपनी अनुमति देता/देती हूँ और घोषणा करता/करती हूँ कि:-

(क) मैंने 51 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

(ख) मैं इस निर्वाचन में स्वतंत्र दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ/~~बड़ी की गई~~ हूँ।

(ग) मेरा नाम और मेरे पिता/~~माता/पति~~ का नाम ऊपर हिन्दी भाषा का नाम, मैं सही रूप से लिखा गया है और

(घ) अपनी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार मैं दरभंगा शिक्षक विधान परिषद् निर्वाचन क्षेत्र से बिहार (राज्य) की विधान परिषद् के रिक्त स्थान को भरने के लिए चुने जाने हेतु अर्हित हूँ और निरर्हित नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि इसके साथ-साथ होने वाले विधान परिषद् के विद्यमान द्विवार्षिक निर्वाचन/उप निर्वाचनों में दो स्थानों के लिए किसी अभ्यर्थी के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं किया गया हूँ और न ही किया जाऊंगा।

तारीख 05-03-2014

नवीन्द्र कुमार शर्मा
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

जो लागू न हो उसे काट दें।

श्री. राजेश कुमार	10	00
श्री. राजेश कुमार	100	00
श्री. राजेश कुमार	101	00
श्री. राजेश कुमार	102	00
श्री. राजेश कुमार	103	00
श्री. राजेश कुमार	104	00
श्री. राजेश कुमार	105	00
श्री. राजेश कुमार	106	00
श्री. राजेश कुमार	107	00
श्री. राजेश कुमार	108	00
श्री. राजेश कुमार	109	00
श्री. राजेश कुमार	110	00

(भाग - 2)
(अभ्यर्थी द्वारा भरा जाए)

क्या अभ्यर्थी को -

- (i) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की-
(क) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (अपराधों) के लिये, या
(ख) उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट किसी विधि के उल्लंघन के लिए
सिद्धदोष ठहराया गया है, या हाँ/नहीं
- (ii) ऐसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, जिसके (जिनके) लिए उसे दो वर्ष
या अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।

यदि उत्तर "हाँ" में है, तो अभ्यर्थी निम्नलिखित जानकारी देगा :

- (i) मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्याक शून्य
- (ii) पुलिस थाना (थानों) शून्य जिला(जिले) शून्य राज्य शून्य
- (iii) संबद्ध अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और उस अपराध (उन अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके
(जिनके) लिए उसे सिद्धदोष ठहराया गया था शून्य
- (iv) दोषसिद्धि (दोषसिद्धियां) की तारीख (तारीखें) शून्य
- (v) वह (वे) न्यायालय जिसने (जिन्होंने) अभ्यर्थी को सिद्धदोष ठहराया था शून्य
- (vi) अधिरोपित दंड कारावास (कारावासों) की अवधि और/या (जुर्माने) की राशि उपदर्शित करें शून्य
- (vii) कारागार से निमुक्ति की तारीख (तारीखें) शून्य
- (viii) क्या उपरोक्त दोषसिद्धि (दोषसिद्धियों) के विरुद्ध कोई अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण फाईल किए गये थे : हाँ/नहीं शून्य
- (ix) फाईल की गई अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) की विशिष्टियां शून्य
- (x) उस न्यायालय (उस न्यायालयों) का (के) नाम, जिसके (जिनके) समक्ष अपील (अपीलें)/पुनरीक्षण आवेदन फाईल
किए गये थे शून्य
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों) पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है, या वह/वे लंबित हैं शून्य
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों)/पुनरीक्षण आवेदन (आवेदनों) का निपटारा हो गया है तो शून्य
- (क) निपटारे की तारीख (तारीखें) शून्य
- (ख) पारित आदेश (आदेशों की प्रकृति) शून्य

स्थान **दरभंगा**
तारीख **05-03-2014**

नवीन्द्र कुमार नवीन
(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)

(भाग - 3)

(रिटनिंग आफिसर द्वारा भरा जाए)

नाम निर्देशन-पत्र की क्रम सं० -

39

यह नामनिर्देशन मुझे/मेरे कार्यालय में

अमृ. अम. अमो

5/3/14

अभ्यर्थी/प्रस्थापक

अमृ. अम. अमो

नाम द्वारा परिदत्त किया गया।

तारीख

रिटनिंग आफिसर

(भाग - 4)

नामनिर्देशन-पत्र की प्रतिगृहित या रद्द करनेवाले रिटनिंग आफिसर का विनिश्चय

मैंने इस नाम निर्देशन-पत्र को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 36 के अनुसार परीक्षित कर लिया है और मैं निम्नलिखित रूप में विनिश्चय करता हूँ -

तारीख

रिटनिंग आफिसर

(छिद्रण)

5/3/14
सद्व्य. निम्नलिखित कार्यालयी,
शिव. निम्नलिखित कार्यालयी,
• सद्व्य. •
सद्व्य. के सचिव
दस्तावे. निम्नलिखित कार्यालयी



"प्ररूप 26"
(नियम 4क देखिए)



दशभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) बिहार विधान परिषद (सदन का नाम) के लिए
निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं नवीन्द्र कुमार नवीन

**पुत्र/पुत्री/पत्नी असीन्द्र नाशत्रणा सिंह

आयु 51 वर्ष, जो ग्राम-पौठ-वन्दार, थाना-नीमा चौदपुरा
जिला बैजसराज

पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूँ और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता
हूँ/करती हूँ शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूँ/करती हूँ:-

(1) मैं नवीन्द्र कुमार नवीन

(**सामयिक बतल का नाम) द्वारा खड़ा

किया गया अभ्यर्थी/**एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा है।

(**जो लागू न हो उसे काट दे)

(2) मेरा नाम नवीन्द्र कुमार नवीन

(निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग सं 93

के क्रम सं 1091 पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. 9308004726

बूटल है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो तो) ...

(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रास्थिति :

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)

Notary
NOTARY
BAGHARAJ (BIHAR)

1.	स्वयं नवीन्द्र कुमार नवीन	शून्य	शून्य	शून्य
2.	प्रति मा पत्नी बिन्दु कुमारी	AJGPK 2686M	2012-13	479861=00
3.	आश्रित-1	शून्य	शून्य	शून्य
4.	आश्रित-2	शून्य	शून्य	शून्य
5.	आश्रित-3	शून्य	शून्य	शून्य

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का /की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शून्य	
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शून्य	
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शून्य	
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शून्य	
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शून्य	
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई	शून्य	

NOTARY
02/09/14

है/हैं	शून्य
--------	-------

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है पूर्वोक्त

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न):-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	श्री मात संजय कुमार यादव एवं अन्य श्रीणी, बैथुसरात्र, नीमा-चौकुरा, बाग काष्ठ सं 50/2002 दिनांक 30-01-2014
(ख)	उन मामलों के ब्योरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	U/S 448/427/323/384/379 IPC मास्पीट एवं चोरी इत्यादी।
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों)/आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हों) के ब्योरे	शून्य

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, को लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है

(क)	उन मामलों के ब्योरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	शून्य
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	शून्य

NOTARY
BEGHARAI BIHAR

(ग)	अधिरूपित दंड	शून्य ✓
(घ)	क्या सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रारिथति	शून्य ✓

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूँ

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे :

टिप्पण 1 - संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 - जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 - सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिबेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाबहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 - यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75 के अधीन रजिस्ट्रीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 - रकम सहित ब्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथक्तया दिए जाने हैं।

क्रम	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i)	हाथ में नकदी	60,000/-	50,000/-	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक खातों में जमा के ब्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	SB Account SBI केयुसशत्र Rs. 18,000/-	SB Account SBI केयुसशत्र Rs. 7.00 लाख	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिबेंचरों/शेयरों तथा यूनितों	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

NOTARY

में विनिधान के ब्यौरे और रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों में विनिधान के ब्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शून्य	LIC पॉलिसी नॉ 2.00 लाख रुपये का।	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अग्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (मेक रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(vii)	जेवरात, बुलियान और मूल्यवान वस्तु (वस्तुएं) (भार और मूल्य के ब्यौरे)	शून्य	स्वर्ण आभूषण 120 ग्राम शुद्ध नॉ 4.00 लाख रुपये	शून्य	शून्य	शून्य
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ix)	समस्त कुल मूल्य	78000/-	11,50,000/-	शून्य	शून्य	शून्य
आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे						

टिप्पण 1- संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2- प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	कृषि भूमि की अवस्थिति (अवस्थितियां)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं

NOTARY
AFRUSARAI (BINAR)

	है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	व्यावसायिक भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(IV)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवस्थिति (अवस्थितियाँ) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्मित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं
	स्वअर्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास, संनिर्माण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(V)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(VI)	पूर्वोक्त (i) से (v) का कुल चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(8) मैं, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पण : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यक्ति के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दें)

क्र० सं०	विवरण	स्वंय	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(i)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिओं, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

NOTARY
CHANDAN BISHAR

(ii)	सरकारी शोध : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन/मोबाईल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आय-कर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	धनकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विक्रयकर शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य शोध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	सभी सरकारी शोधों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हां तो अंतर्वर्तित रकम और उस प्रधिकारी जिसके समक्ष यह स्वीकृत है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(10) मेरी औपजीविका के ब्यौरे :

(क) स्वयं अवभाषन

(ख) पति या पत्नी सरकारी सेवा

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-

1. मैट्रिक गोपी उच्च विद्यालय रामपुर, डुमरा, पटना बिहार वि० प्रीति समिति पटना 1977
 2. इण्टरमीडिएट कॉलेज स्टाफ कॉमर्स, पटना मगध विश्वविद्यालय, बोधगया 1979
 3. स्नातक बी. एन. कॉलेज, पटना पटना विश्वविद्यालय 1981
 4. एम. ए. अंग्रेजी विभाग पटना विश्वविद्यालय 1987
 5. बी. एड. पटना ट्रेनिंग कॉलेज पटना विश्वविद्यालय 1991
- (प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

NOTARY

19/04/2014

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये ब्यौरे का उद्धरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुं० नवीन्द्र कुमार नवीन				
2	डाक का पता	ग्राम + पो० - वन्नाह, बाम - नीमा चौदपुरा, जिला - बैजसराय				
3	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	146 - बैजसराय, बिहार				
4	उस राजनैतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	स्वतंत्र				
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं।	शून्य				
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) उल्लिखित मामलों से मिला)	एक				
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और लंबित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	शून्य				
7	 का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है	कुल दायित्व आय			
	(क) अभ्यर्थी	शून्य	शून्य	शून्य		
	(ख) पति या पत्नी	AJGPK 2686M	2012-13	479867/-		
	(ग) आश्रित	शून्य	शून्य	शून्य		
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रूपये में)					
	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	78,000/-	11,50,000/-	शून्य	शून्य	शून्य

NOTARY

BEJASARAI, BIHAR

ख	स्थावर आस्तियां	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
I.	स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संनिर्माण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(क) स्वर्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ख) विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9	दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(i)	सरकारी शोध (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
(i)	सरकारी शोध (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11	उच्चतम शैक्षिक अर्हता : 1. एम० ए० अंग्रेजी विभाग पटना विश्वविद्यालय, पटना 1987 2. बी.एड. पटना ट्रेनिंग कॉलेज पटना विश्वविद्यालय 1991					

	(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)
--	--

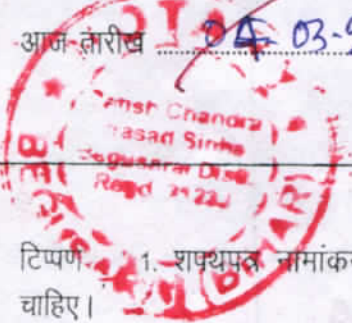
सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिसाक्षी इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय-वस्तु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि :-

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग क और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामलों से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से भिन्न कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 04-03-2014 को सत्यापित किया गया।



गोबिंद कुमार नवीन
अभिसाक्षी

टिप्पण 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3:00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिश्नर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र टंकित या सुपाठ्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण - 5 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इंडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर

NOTARY
REGISTRATION NO. 2122

04/03/14

लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी मद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'ज्ञात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी निम्नलिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्यायें है/हैं 9308004726, 7654419463

मेरा ई-मेल आईडी (अगर कोई हो) है शून्य

मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) है शून्य



Handwritten signature
04/03/14

NOTARY

BOGUSARA (BIHAR)

Authorised by 287 (1) (c) of Cr. P. C.

4 (1) (a) of Notaries Act 1956

41339 of C. P. C. 1882

My Comm. Exp. Date

04 MAR 2014

361

04 MAR 2014